कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 4 (307)आयो./निकाशि/एस एफएस/2010/655 दिनांकः 21, मई,2013

कार्यालय आदेश

प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर ने उनके पत्र क्रमांक 3926 दिनांक 10.7.201 के द्वारा महाविद्यालय विकास समिति योजनान्तर्गत स्ववित्तपोषी योजना के तहत प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में सत्र 2013–14 से कोर्स को नवीन विषय/पाठयक्रय प्रारम्भ करने की प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 1011 दिनांक 10.5.2013 के द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र सं.	नवीन विषय/पाठ्यकम	प्रवेशित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	प्रति विद्यार्थी शुल्क (वार्षिक)
1	राजस्थानी	40	6000/–
2	ड्राइंग एवं पेंटिग	20	17000/–
3	एम कॉम (ए बी एस टी)	40	3000/–
4	एम कॉम (बिजनेस मैनेजमेन्ट)	40	3000/–
5	एम कॉम (ई ए एफ एम)	40	3000/–

1 महाविद्यालय विकास समिति द्वारा नवीन विषय का संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा।
2. महाविद्यालय विकास समिति नवीन विषय हेतु यू.जी.सी अर्हताधारी व्याख्याताओं की अध्यापन हेतु नियुक्ति करेगी। यूजीसी के नियमानुसार सबधित व्याख्याताओं को प्रति कालांश मानदेय (केवल बाहर से बुलावे गये)दिया जावेगा। जो कि कार्य व्यवस्था पर रखे जावेंगे।
3 महाविद्यालय विकास समिति विश्वविद्यालय के मानदण्डो के अनुरूप आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।
4. महाविद्यालय विकास समिति द्वारा अपने स्तर पर अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति का चयन कर उन्हें समेकित राशि (Fixed Amount) पर रखेगी।
5. महाविद्यालय विकास समिति नवीन विषय का संचालन स्ववित्तपोषी योजना में करेगी।
6. महाविद्यालय विकास समिति आय व्यय का लेखा जोखा रखेगी तथा उनका नियमित रूप से अंकेक्षण करायेगी।
7. उक्त महाविद्यालय विकास समिति को राज्य सरकार द्वारा नवीन विषय के लिए वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता एवं संसाधन नहीं दिये जावेगे।
8. महाविद्यालय विकास समिति समय–समय पर जारी राज्य सरकार एवं निदेशालय, कालेज शिक्षा द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
9 संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रो को प्रवेश दिया जावेगा।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकःएफ 4 (307)आयो./निकाशि/एस एफएस/2010/655-664 दिनांकः 21 मई,2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. राज्य उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग जयपुर को उनकी एम आर संख्या 859 दिनांक 26.04.2013 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनकी एम आर संख्या 154 दिनांक 13.05.2013के संदर्भ में।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6 जिला कलक्टर, बीकानेर ।
7. अध्यक्ष,महाविद्यालय विकास समिति, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर
8. प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
9 वेबसाइट प्रभारी /कम्प्यूटर/सांख्यिकी शाखा/सबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक